[2021] 6 एस. सी. आर 1

डॉ. ए. सुरेश कुमार और ओआरएस।

वी.

अमित अग्रवाल

(2021 की सिविल अपील संख्या 988)

08 जुलाई, 2021

[वाइन सरन और दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986: चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप

अपीलार्थी के खिलाफ-डॉक्टर-अपीलार्थी ने जवाब दाखिल किया लेकिन देरी के साथ

आयोग ने दाखिल करने में देरी को माफ करने के लिए आवेदन खारिज कर दिया इस आधार पर लिखित बयान कि संविधान पीठ में

राष्ट्रीय भारत आश्वासन बनाम में उच्चतम न्यायालय का निर्णय। हिल्ली बहुउद्देशीय शीत भंडारण, यह माना गया था कि देरी से परे

30 + 15 दिनों (45 दिन) की अवधि को राष्ट्रीय सरकार द्वारा माफ नहीं किया जा सकता है।

आयोग-आयोजितः सी. बी. के फैसले में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है

कि यह संभावित रूप से काम करेगा-तत्काल मामले में, क्योंकि

सी. बी. से पहले देरी की माफी के लिए आवेदन दायर किया गया था

निर्णय, विलंब की क्षमा के लिए उक्त आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए था और इसे खारिज नहीं किया जाना चाहिए था

राष्ट्रीय आयोग के सी. बी. निर्णय आदेश के आधार पर

अलग रखें-इस मामले में देरी केवल 7 दिनों के लिए थी जिसके लिए वैध था

स्पष्टीकरण पक्षों की सहमति से दिया गया था, 7 की देरी दिनों को माफ कर दिया जाता है लेकिन रुपये के भुगतान पर। 25000 / - - सीमा

विलम्ब, क्षमा।

* न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हिल्ली

बहुउद्देशीय शीत भंडारण निजी लिमिटेड (2020) 5

इसके बाद एस. सी. सी. 757 आया।

मामला कानून संदर्भ

(2020) 5 एस. सी. सी. 757

पीछा किया।

पै

रा 1

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 988

2021 से।

राष्ट्रीय संविधान के 14.12.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

नई दिल्ली में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

2019 के सीसी नंबर 480 में 2019 का अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 18361।

[2021] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आनंद शंकर झा, अर्पित गुप्ता, गिरीश भारद्वाज, अभिलाष गोपीनाथ, शुभम त्रिपाठी, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

अमलपुष्प श्रोती, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

प्रतिवादी ने अपीलार्थियों के खिलाफ चिकित्सा लापरवाही का दावा दायर किया था-डॉ। ए. सुरेश कुमार और अन्य। याचिकाकर्ताओं ने दायर किया

उनका जवाब लेकिन 30 + 15 दिनों (45 दिन) की अवधि से परे 7 दिनों की देरी के साथ। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (संक्षेप में 'एन. सी. डी. आर. सी.') ने लिखित बयान दाखिल करने में देरी को माफ करने के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हिल्ली मल्टीपर्पस कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले में,

(2020) 5 एस. सी. सी. 757 में सूचित, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 30 + 15 दिन (45 दिन) की अवधि से अधिक की देरी को एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा माफ नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, उक्त निर्णय दिनांक 04.03.2020 के पैराग्राफ 63 में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह निर्णय संभावित रूप से काम करेगा। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं द्वारा 7 दिनों की देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन के साथ 25.11.2019 पर लिखित बयान दायर किया गया था।

हमारे विचार में, चूंकि विलंब की माफी के लिए आवेदन संविधान पीठ के फैसले से पहले दायर किया गया था, जो था

<आई. डी. 1] पर दिए गए विलंब की माफी के लिए उक्त आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए था और न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में संविधान पीठ के फैसले के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि उक्त निर्णय संभावित रूप से संचालित होना था और लिखित बयान के रूप में

साथ ही विलंब की माफी के लिए आवेदन उक्त निर्णय से बहुत पहले दायर किया गया था।

इस स्तर पर, पक्षों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि यह न्यायालय माफी के संबंध में मामले पर विचार कर सकता है 7 दिनों की देरी, जिसे एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा खारिज कर दिया गया है।

पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुनने के बाद और रिकॉर्ड को देखने के बाद और आवेदन में दिए गए कारणों के लिए

एन. सी. डी. आर. सी. के समक्ष दायर की गई देरी की माफी और डी. आर. पर भी विचार करना।

ए. सुरेश कुमार और ओआरएस। वी. अमित अग्रवाल

तथ्य यह है कि देरी केवल 7 दिनों के लिए थी जिसके लिए वैध स्पष्टीकरण दिया गया था और पक्षों के विद्वान वकील की सहमति से, अपीलकर्ताओं द्वारा NCDRC से जवाब दाखिल करने में 7 दिनों की देरी को माफ करें, लेकिन Rs.25,000/- (केवल बीस हजार रुपये) की लागत के भुगतान पर। उक्त लागत का भुगतान अपीलार्थी द्वारा आज से 15 दिनों के भीतर प्रत्यर्थी को किया जाएगा। यदि उक्त भुगतान किया जाता है, तो 25.11.20 पर अपीलार्थियों द्वारा पहले से दायर लिखित विवरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालाँकि, यदि भुगतान किया जाता है, तो रिट विवरण एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा स्वीकार किया जाएगा और एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा प्रतिवादी द्वारा दायर शिकायत पर जल्द से जल्द निर्णय लेने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, अधिमानतः छह महीने के भीतर।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ अपील की अनुमति है।

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दें